संख्या-ई-८-१७३/दस-१९९७-६४८/१९९४

प्रेषक,

श्री बृजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८ लखनऊः दिनांकः २५ जून, १९९७

विषयः- शासकीय निर्माण कार्यों का सम्पादन ।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-ई-८-१७४/दस-१९९६-६४८/१९९४, दिनांक २३ अप्रैल, १९९६ जारी किया गया था एवं निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी थी । प्रदेश सरकार को परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया और कार्यहित में उक्त शासनादेशों में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

शासकीय निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी का चयन

(क) रू० ५.०० करोड़ की सीमा तक के भवन निर्माण कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा किसी भी उपयुक्तशासकीय निर्माण एजेन्सी से टेन्डर के माध्यम से कराये जा सकते हैं । टेन्डर में यह शर्तहोगी कि कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किये जायेंगे । ऐसे कार्यों के लिए निर्धारित दर से सेन्टेज चार्जेज देय नहीं होगे ।

(ख) मानकीकृत भवनों का निर्माण निर्धारित मानक के अनुरूप ही सम्पादित कराया जाये ।

(ग) रू० ५.०० करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य राजकीय निर्माण निगम तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा ही सम्पादित कराये जायें ।

(घ) निर्माण कार्यों की लागत एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि:-

(१) निर्माण कार्य के आगणन पूर्णतः लोक निर्माण विभाग की दरों पर आधारित हों,

(२) गुणनिर्दिष्टियों (स्पेशीफिकेशंस) में उच्चीकरण न हों एवं मितव्ययिता पर महत्व दिया जाय,

(३) निर्माण एजेन्सी गैर विभागीय कार्य उसी सीमा तक ले जहाँ तक उनकी

परिवेक्षीय क्षमता हो । इस बिन्दु का परीक्षण सम्बन्धित विभाग निर्माण एजेन्सी का चयन करते समय अवश्य करलें ।

२- संदर्भित शासनादेश के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-ई-८-१७३७/दस-१९९५, दिनांक १७-११-१९९५ के प्रस्तर-२ (II), (III), (IV), (V) एवं प्रस्तर-३ की व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी ।

३- विभिन्न ऐजेन्सी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य का अनुश्रवण भी अत्यन्त आवश्यक है । इस हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी नोडल अधिकारी मनोनीत करेगी एवं विभागीय सचिव के स्तर पर कम से कम त्रैमासिक समीक्षा बैठक अवश्य आहूत की जायेगी । निर्माण एजेन्सी के प्रबन्ध निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय सचिव के स्तर पर आहूत समीक्षा बैठक में समस्त उपयुक्त बिन्दुओं पर पर्याप्त सूचना के साथ नोडल अधिकारी प्रतिनिधित्व करें ।

४- निर्गत किये जा रहे संशोधन का किसी भी निर्माण ऐजेन्सी की दक्षता अथवा कार्य करने की क्षमता से सम्बन्ध नहीं है ।

५- उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सभी सम्बन्धित विभाग सुनिश्चित करेंगे ।

भवदीय,

(बृजेन्द्र सहाय)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ।
२. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ।
३. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम ।
४. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम ।
५. आयुक्त, उ०प्रआवास एवं विकास परिषद ।
६. प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निगम ।

आज्ञा से,

(आनन्द मिश्र)